

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, नालंदा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना मृत्यु में 02 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) एवं 04 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 320000/- (तीन लाख बीस हजार रूपए) मात्र मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एच.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्रवाई की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मो० सोहैल, 53, स्व० मो० शफी अहमद, अ० पि० वर्ग	श्रीमती असगरी खातुन (पत्नी)	544/09.08.18	ग्रा०-हैदर गंज कड़ाह, पो०+था०-सिलाव, नालंदा	71701700094839	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, कड़ाह PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बीड़ी मजदूर
2	स्व० राजेन्द्र राम, 60, स्व० रामेश्वर राम, अ० पि० वर्ग	श्रीमती कमला देवी (पत्नी)	543/09.08.18	ग्रा०-कड़ाहडीह, पो०+था०-सिलाव, नालंदा	71700100112299	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, कड़ाह PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बीड़ी मजदूर
3	स्व० सिकन्दर खॉं, 23, सामान्य	मो० अशरफ खॉं (पिता)	572/20.08.18	ग्रा०-लोहार टोली, पो०+था०-इसलामपुर, नालंदा	74670700008847	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, इस्लामपुर, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राज मिस्त्री
4	स्व० जवाहर पासवान, 43, श्री यदू पासवान उर्फ जोधी पासवान, अनु० जाति	श्रीमती कुमकुम देवी (पत्नी)	575/20.08.18	ग्रा०+पो०-एकसारा, था०-वेन, नालंदा	31540895686	भारतीय स्टेट बैंक, परवलपुर, SBIN0006022	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर
5	स्व० संतोष मिस्त्री 30, श्री प्यारे मिस्त्री, सामान्य	श्रीमती ज्योति देवी (पत्नी)	573/20.08.18	ग्रा०+पो०-सुहातनपुर सुढी, था०-इसलामपुर, नालंदा	71420100146044	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, परवलपुर PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बड़ई मिस्त्री
6	स्व० विजेन्द्र चौधरी, 44, स्व० यमुना चौधरी, पि० वर्ग	श्रीमती मृदुला सिन्हा (पत्नी)	574/20.08.18	ग्रा०-भीमसेन विगहा, पो०-बढौना, था०-चण्डी, नालंदा	578210110002248	बैंक ऑफ इंडिया, चण्डी, BKID0005782	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर

कुल :- ₹ 320000/-

(तीन लाख बीस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-37/2018 के पृष्ठ-09/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-37/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित

करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-37/2018-432

पटना, दिनांक :- 13-09-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 320000/- (तीन लाख बीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, नालंदा को उनके पत्रांक 551 दिनांक 09.08.18 एवं 580 दिनांक 21.08.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, नालंदा को उनके पत्रांक 543, 544 दिनांक 09.08.18, 572, 573, 574, 575 दिनांक 20.08.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/18

12-09-18

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

12/09/18

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

12/09/18

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।